विशेष वाहक द्वारा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

प्रेषित,

रजिस्ट्रार
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

संख्याः 2960 /ओ0एस0डी0–कैम्प/2022 दिनांकः 27–11–2022

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष श्री जफर अब्बास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 704/2022 जफर अब्बास बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–10–2022 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसकी प्रति ई–मेल के माध्यम से अपेक्षित अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 11–10–2022 व दिनांक 23–11–2022 के अनुपालन में मौके पर भूमि की पुनः वीडियोग्राफी दिनांक 27–11–2022 को करायी गयी है, जिसके सम्बन्ध में तहसील, सदर, मेरठ की विस्तृत आख्या एवं वीडियोग्राफी सी0डी0 साथ में संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष श्री जफर अब्बास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 704/2022 जफर अब्बास बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–10–2022 जिसकी प्रति मा0 अधिकरण द्वारा ई–मेल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरठ को आदेश के अपेक्षित अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,

उक्त सम्बन्ध मे सादर अवगत कराना है कि ग्राम नगलाताशी कासमपुर परगना व तहसील मेरठ जिला मेरठ स्थित खसरा संख्या 15/1 का राजस्व अभिलेखीय विवरण निम्नवत है:–

01– जो0च0आ0पत्र 45 का अवलोकन किया गया तो स्थिति निम्नवत है:–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (बीघा मे)	श्रेणी	खातेदार का नाम
349	15क	07–03–00	1क	मु0 हरजीत चचंल ढिल्लो आदि
184	15ख	02–08–00	1क	विसारत पुत्र अलेदाद आदि
107	15ग	3–00–00	1क	धर्मानन्द पुत्र फतह सिंह
572	15घ	13–01–05	5(3)	बंजर

प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 15घ रकबा 13–01–05 बीघा चकबन्दी प्रक्रिया मे बंजर गांव सभा सम्पत्ति के रूप छोडी गयी जो जो0च0आ0पत्र 45 में खाता संख्या 572 पर अंकित है।

02– खतौनी वर्ष 1384 ता 1390 फसली के खाता 598 पर खसरा संख्या 15घ रकबा 13–01–05 बीघा श्रेणी 5 (3) ड. बंजर अंकित है तथा परिवर्तन कॉलम मे नायब तहसीलदार द्वारा वाद संख्या 130 व 134 आदेश दिनांक 19–09–1978 के अन्तर्गत कुटीर उधोग हेतु खसरा संख्या 15 रकबा 05–00–00 बीघा भूमि मैसर्स अभिनन्दन दास जैन एण्ड कम्पनी, 215 वेस्ट एण्ड रोड मेरठ कैन्ट द्वारा अभिनन्दन दास जैन निवासी 215 वेस्ट एण्ड रोड मेरठ कैन्ट व 07–00–00 बीघा भूमि मैसर्स एन डेयरी, रेलवे रोड मेरठ द्वारा पुनित कुमार जैन निवासी रेलवे रोड मेरठ के नाम अंकित है।

03– इसके उपरान्त सुपरवाईजर कानूनगो रोहटा की रिपोर्ट दिनांक 16–07–1980 व जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की राय प्राप्त करके परगनाधिकारी, मेरठ ने दिनांक 13–07–1981 को सो–मोटो कार्यवाही नियम 115पी के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ को आख्या प्रेषित की गयी।

04– परगनाधिकारी, मेरठ की आख्या पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मेरठ मे वाद संख्या 12/1981 सरकार बनाम अभिमन्यु दास जैन व मैसर्स एन डेयरी, रेलवे रोड मेरठ द्वारा पुनित जैन व एल0एम0सी0 ग्राम नंगलाताशी कासमपुर अन्तर्गत धारा 115पी उ0प्र0ज0वि0एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत योजित हुआ तथा पक्षकारों को नियमान्तर्गत अपना अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मेरठ ने आदेश दिनांक 14–04–1982 पारित किया गया, जिसमे कुटीर उधोग कार्य न किये जाने पर आवंटन निरस्त किया गया।

05– न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मेरठ के आदेश दिनांक 14–04–1982 के विरूद्ध अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ मे निगरानी योजित की गयी, जो दिनांक 25–06–1982 को निरस्त की गयी।

06– मा0 उच्चतम न्यायालय मे विशेष सिविल अपील संख्या 1595/2009 अभिमन्यु दास जैन बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06–03–2009 द्वारा वाद को रिमाण्ड करते हुये अपर जिलाधिकारी (वित्त), मेरठ को निर्देशित किया गया कि पक्षकारों को सुनकर वाद का गुण–दोष पर निस्तारण किया जाये।

07– मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06–03–2009 के अनुपालन मे पक्षकारों को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया तथा उनको सुना गया उसके उपरान्त न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), मेरठ ने दिनांक 17–01–2011 को आदेश पारित किये, जिसमे पूर्व पारित आदेश दिनांक 14–04–1982 की पुष्टि की गयी।

08– न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), मेरठ ने दिनांक 17–01–2011 के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ मे निगरानी संख्या 42/10–11

Ravinder Singh
Lekhpal
Tehsil - Meerut

तहसीलदार
मेरठ

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट

श्रीयांश कुमार आदि बनाम सरकार दायर की गयी। न्यायालय अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ ने दिनांक 25–01–12 को निगरानी बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण निरस्त की।

09– न्यायालय अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ मे निगरानी संख्या 42/10–11 श्रीयांश कुमार आदि बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 25–01–2012 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में योजित सिविल मिस0 रिट याचिका संख्या– सी 16781 वर्ष 2012 श्रीयांश कुमार जैन आदि बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य योजित किया गया, जो मा0 उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है।

10– न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), मेरठ मे वाद संख्या 10/32/93 अन्तर्गत धारा 229बी जमी0वि0अधि0 वक्फ उल्ल औलाद बनाम सरकार आदि दिनांक 03–07–1991 को प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 15/1 के सम्बन्ध में योजित किया गया। जो न्यायालय द्वारा दिनांक 19–07–1993 को वाद सिद्ध करने मे वादी विफल होने पर वाद निरस्त कर दिया गया।

10– न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), मेरठ के पारित आदेश दिनांक 19–07–19893 के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त (न्यायिक), मेरठ मण्डल, मेरठ मे अपील संख्या 90/92–93 वक्फ उल्ल औलाद बनाम उ0प्र0सरकार आदि योजित की गयी। अपर आयुक्त (न्यायिक), मेरठ मण्डल, मेरठ ने दिनांक 06–10–1994 को आदेश पारित कर अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 19–07–1993 निरस्त करके वक्फ उल्ल औलाद को सं क्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया। जिसका राजस्व अभिलेख खतौनी वर्ष 1397 ता 1402 फसली के खाता संख्या 651 पर अमलदरामद की प्रविष्टि की गयी।

11– अपंर आयुक्त (न्यायिक), मेरठ मण्डल, मेरठ के पारित आदेश दिनांक 06–10–1994 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व परिषद, उ0प्र0, कैम्प मेरठ मे द्वितीय अपील संख्या 32 (जे ड) 95–96 नगर महापालिका मेरठ बनाम वक्फ उल औलाद व निगरानी संख्या 136(ज ड) 95–96 मुन्ना बनाम वक्फ उल औलाद दायर हुई। न्यायालय राजस्व परिषद, उ0प्र0, कैम्प मेरठ ने पारित आदेश दिनांक 02–03–2001 के अन्तर्गत निगरानी निरस्त कर न्यायालय अपर आयुक्त (न्यायिक), मेरठ मण्डल, मेरठ के पारित आदेश दिनांक 06–10–1994 की पुष्टि की गयी।

12– न्यायालय राजस्व परिषद, उ0प्र0, कैम्प मेरठ के पारित आदेश दिनांक 02–03–2001 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे रिट याचिका संख्या 16547/2001 मुन्ना लाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उ0प्र0 आदि योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थगनादेश दिनांक 03–05–2001 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व परिषद, उ0प्र0, कैम्प मेरठ के आदेश दिनांक 02–03–2001 व न्यायालय अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के पारित आदेश दिनांक 06–10–1994 स्थगन किये गये। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11–10–2007 को याचिका निस्तारित कर दी गयी, उक्त आदेश की प्रति अप्राप्त है। जिसमे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 07–05–2013 को दाखिल किया गया, जो लम्बित है।

13– उपरोक्त बिन्दु–10 मे अंकित न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), मेरठ के पारित आदेश दिनांक 19–07–1993 का अवलोकन करने से विदित हुआ कि खसरा संख्या 15 पुराने खसरा संख्या 12 से बना है। जिसके सम्बन्ध मे खसरा 1359 फसली का अवलोकन किया गया तो विदित हुआ कि खसरा संख्या 12/1 का रकबा 27–05–05 महाल कंला खेवट संख्या 3 चनचल सिंह आदि व विशारत आदि तथा जफर महेंदी आदि अंकित है जिसमें केवल 01–03–00 बीधा मे फसल और शेष रकबा बंजर ढाक के रूप मे अंकित है। खसरा 12/2 रकबा 00–15–15 बिस्वांसी सड़क रेल दौराला फार्म व खसरा संख्या 12/3 रकबा 00–08–00 बिस्वा मु0 मुरादन आदि जिसमे फसल अंकित है, पाये गये हैं।

14– न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), मेरठ के पारित आदेश दिनांक 19–07–1993 के अन्तर्गत शिया वक्फ बोर्ड मे वक्फ का पंजीकरण 04–02–1992 मे होना अंकित है। साथ ही यह अंकित है कि 53 वर्ष बाद पंजीकृत कराया गया है।

Tehsil - Meerut

तहसीलदार
मेरठ

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट

15– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या– सी 16781 वर्ष 2012 श्रीयांश कुमार जैन आदि बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य विचाराधीन है तथा रिट याचिका संख्या 16547/2001 मुन्ना लाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उ0प्र0 आदि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11–10–2007 को याचिका निस्तारित कर दी गयी, उक्त आदेश की प्रति अप्राप्त है। जिसमे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 07–05–2013 को दाखिल किया गया, जो लम्बित है।

16– प्रश्नगत भूमि का वक्फ मुतवल्ली द्वारा अमन एन्टरप्राईजेज द्वारा अब्दुल वाहिद आदि के पक्ष में वि क्र य पत्र दिनांक 15–04–2017 को पंजीकृत करा दिया गया तथा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध मे मा0 उच्च न्यायालय मे वाद विचाराधीन हैं।

प्रश्नगत भूमि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे रिट याचिका संख्या 16547/2001 मुन्ना लाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उ0प्र0 आदि दायर की गयी, जो मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11–10–2007 को याचिका निस्तारित कर दी गयी, उक्त आदेश की प्रति अप्राप्त है। जिसमे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 07–05–2013 को दाखिल किया गया, जो मा0 उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या– सी 16781 वर्ष 2012 श्रीयांश कुमार जैन आदि बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य जो मा0 उच्च न्यायालय मे विचाराधीन तथा रिट याचिका 35520 वर्ष 2018 मैसर्स अमन एण्टरप्राइजेज व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य आदि मा0 उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है, जिसमे दिनांक 01–12–2022 नियत है उक्त रिट याचिका 35520/2018 मे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31–10–2018 मे स्थगनादेश पारित किये गये हैं।

मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 11–10–2022 पारित करके राजस्व ग्राम नगलाताशी कासमपुर परगना व तहसील मेरठ व जिला मेरठ स्थित विवादित भूमि खसरा संख्या 15/1 क्षेत्रफल 3.304 हैक्टेयर पर अग्रिम आदेशों तक यथास्थिति कायम कराने एवं प्रश्नगत भूमि की आवेदक एवं प्रयु त्तारदाता–2 के प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे वीडियोग्राफी कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे सादर अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण के आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों के आदेश के क्र म मे दिनांक 18–11–2022 को आवेदक एवं प्रत्यु त्तारदाता–2 की ओर से उपस्थित जिया अब्बास जोकि राजस्व अभिलेख वर्तमान खतौनी वर्ष 1427 ता 1432 फसली के खाता संख्या 430 मे बतौर मुत्वल्ली अंकित है, की उपस्थिति मे मौके की वीडियोग्राफी की गयी है (वीडियोग्राफी की सीडी व फोटोग्रा फ्स संलग्न है) ।

इसके अतिरिक्त श्री जफर अब्बास द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र आई0ए0 सं0 296/2022 प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि " Patwari deputed by the District Magistrate, Meerut to Video-graph the land in dispute made a partial video recording and and advised the applicant to withdraw his appliction. The applicant was also threatened by about ten persons of doubtful character present there."

उपरोक्त के सम्बन्ध मे सादर अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 11–10–2022 व दिनांक 23–11–2022 के अनुपालन में मौके पर भूमि की पुनः वीडियोग्राफी दिनांक 27–11–2022 को करायी गयी। जिसके साक्ष्य स्वरूप मौके की वीडियोग्राफी की सीडी अवलोकनार्थ संलग्न है।

आख्या सेवा मे सादर प्रेषित।

संलग्नकः– 01– वीडियोग्राफी सीडी दिनांक 18–11–2022
02– वीडियोग्राफी सीडी दिनांक 27–11–2022
03– वीडियोग्राफी के समय उपस्थिति पत्र

Parmender Singh
Lekhpal
Tehsil - Meerut

तहसीलदार
मेरठ

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 23/11/2022 के अनुपालन हेतु आज दिनांक 27/11/2022 को पुन: विवादित भूमि खसरा सं0 15/1, रकबा 3.304 हे0 स्थित ग्राम - जलालाजी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ की वीडियोग्राफी श्रीमान तहसीलदार मेरठ महोदय एवं पुलिस बल थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ की उपस्थिति मे की गयी।

27/11/22

2:10 PM

27/11/22

Bahadur Abbas Naqvi
S/o Shri Zafar Abbas Naqvi
(Petitioner)

27/11/22

27/11/22

स्थल- खसरा संख्या 15। स्थित ग्राम नगलाताशी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ

दिनांक 27/11/2022

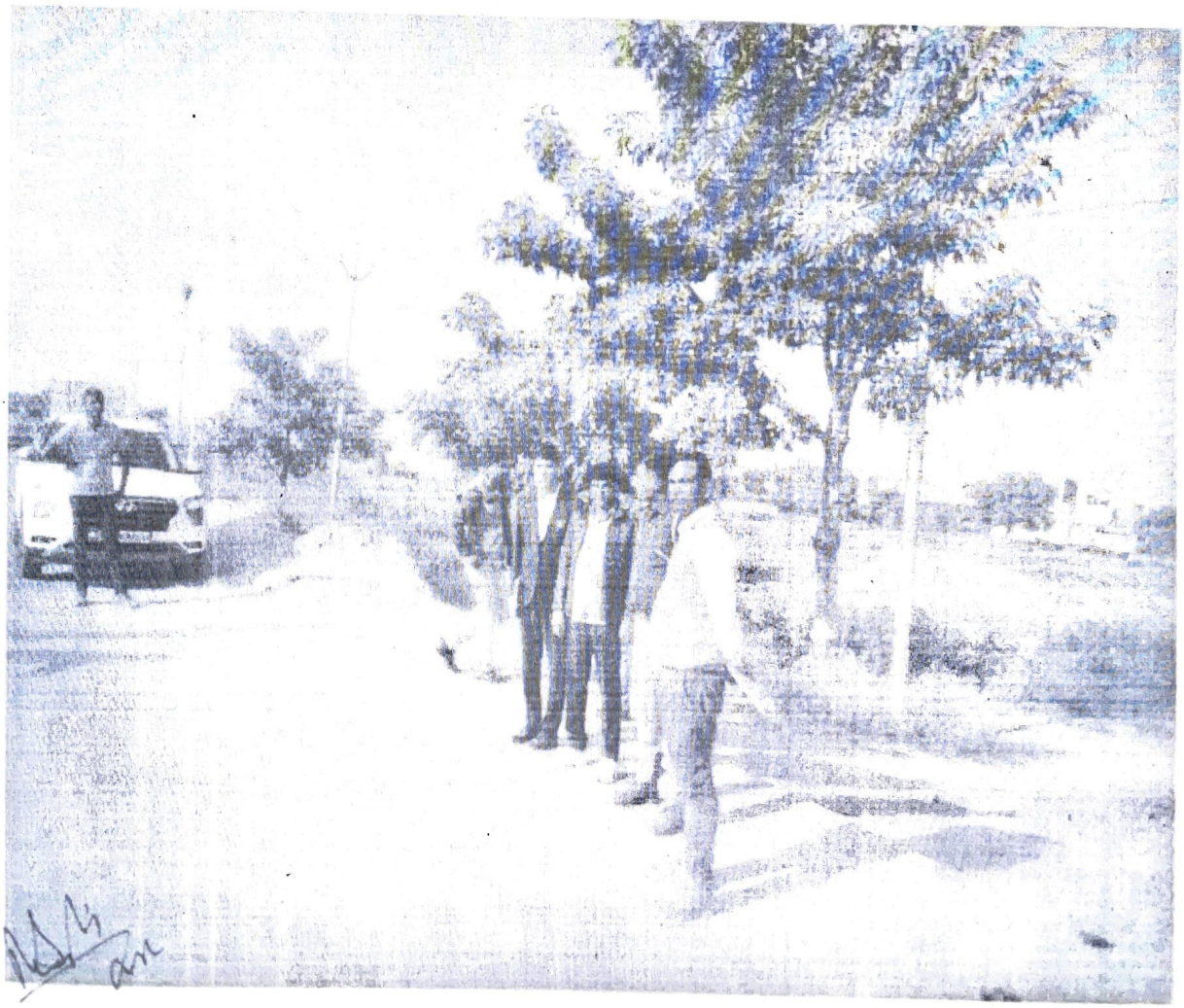

...ल - खसरा सं० 151 स्थित ग्राम नगलाताशी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ

दिनांक 27/11/2022

स्थल - खसरा सं- 15/1, स्थित ग्राम - नगलाताशी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ

दिनांक 18/11/2022

स्थल - खसरा सं० 15/1 स्थित ग्राम - नंगलातशी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ

दिनांक - 18/11/2022

Item No.10 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH

(By Video Conferencing)

Original Application No.704/2022
(I.A No. 231/2022)

Zafar Abbas — Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Anr. — Respondents

Date of hearing: 11.10.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Ms. Tasneem Ahmadi, alongwith Ms. Mahima Rathi, Advocates.
Respondent: Mr. Varchaswa Singh, Advocate for respondent no. 2.

Application under Section 18 (1) read with Sections 14, 15 and 19 of the National Green Tribunal Act, 2010.

ORDER

1. The present application has been filed under Section 18 (1) read with Sections 14, 15 and 19 of the National Green Tribunal Act, 2010 seeking demarcation of entire area of 40 bighas comprised in Khasra Nos. 15/1 situated in Village Nangla Tashi Qasampur Kankar Kheda Meerut, Uttar Pradesh and removal of encroachments and building material from the same.

2. Vide order dated 27.09.2022, District Magistrate, Meerut was impleaded as respondent no. 3 and notices were ordered to be issued to respondent no. 1 to 3.

3. Learned Counsel appearing for the applicant has filed amended memo of parties and the affidavit regarding service of notices on the respondents which are taken on record.

4. None has appeared for respondent no. 1- State of Uttar Pradesh and respondent no. 3- District Magistrate, Meerut.

5. Learned Counsel appearing on behalf of the respondent no. 2 has filed copy of the Aadhar card of A.R of respondent no. 2, Copy of the Tauliyat Identity Certificate issued by respondent no. 2 along with copy of order dated 06.07.20222 and Vakalatnama on behalf of respondent no. 2 which are taken on record. Learned Counsel for respondent no. 2 seeks three weeks time to file reply/response of respondent no. 2 to the averments made in the application.

6. Request is allowed. Response/ reply on behalf of respondent no. 2 to the averments made in the application be filed within three weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

7. List for further consideration on 29.11.2022.

8. In view of the facts and circumstances of the case and also the provisions made in the Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 which require this Tribunal to *inter alia* apply the Precautionary Principle, we consider it appropriate that the land be preserved in its present state of environment till adjudication of the questions involved in the case and accordingly, we direct the parties to maintain *status quo* regarding possession and existing position of the land till further orders to the contrary.

9. The Superintendent of the Police and District Magistrate, Meerut are directed to take all requisite steps for ensuring maintenance of status quo regarding the possession and existing position of the land in question. For recording existing position of the land and vegetation on it in question including any encroachment/borewells etc., the same may be got video-graphed by the District Magistrate, Meerut, through smart phone or video-

camera in the presence of representatives of the applicant and respondent no. 2 immediately on receipt of a copy of this order. The requisites expenses, if any incurred, for such videography of the land in question will be borne by the applicant.

10. A copy of this order be sent to District Magistrate, Meerut and Superintendent of Police by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

October, 11 2022
AG

Item No. 4 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)

I.A. No. 296/2022
In
Original Application No. 704/2022

Zafar Abbas ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. ...Respondents

Date of hearing: 23.11.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.

Applicant: Ms. Tasneem Ahmadi, Advocate with Ms. Mahima, Advocates.

Respondents: None.

Application under Section 18 read with Sections 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010

ORDER

1. The present application has been filed under Section 18(1) read with Sections 14, 15 and 19 of the National Green Tribunal Act, 2010 seeking demarcation of entire area of 40 bighas comprised in Khasra Nos. 15/1 situated in village Nangla Tashi Qasampur Kankar Kheda Meerut, Uttar Pradesh and removal of encroachments and building material from the same

2. Vide order dated 27.09.2022, notices were ordered to be issued to the respondents. Respondents no. 1 & 3 did not appear despite due service and respondent no. 2 sought time to file reply.

3. Vide order dated 11.10.2022, respondent no. 2 was granted three weeks' time to file reply and in the meanwhile *status QUO* regarding possession and existing position of the land was ordered to be maintained and

the District Magistrate, Meerut was also directed to get the land in dispute video-graphed immediately on receipt of the order.

4. The applicant has filed I.A. No. 296/2022 alleging that Patwari deputed by the District Magistrate, Meerut to video-graph the land in dispute made a partial video recording and advised the applicant to withdraw his application. The applicant was also threatened by about ten persons of doubtful character present there.

5. We consider it to be appropriate and accordingly order that a copy of the application be sent to the District Magistrate, Meerut, who shall ensure that the land in question is completely video-graphed to record its existing position and take such further action as may be considered appropriate.

6. List for consideration on the date already fixed, i.e., 29.11.2022.

7. In view of the facts and circumstances of the case, we also consider presence of the District Magistrate, Meerut or Officer not below the rank of SDM deputed by him before this Tribunal through VC to be essential for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved and accordingly the District Magistrate, Meerut or Officer duly authorised by him may remain present before this Tribunal through VC on that date.

8. A copy of this order be send to the District Magistrate, Meerut by email for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November 23, 2022
AVT